नम्बर / वर्ष 07 / 2023 अनवानी बेगराज बनाम सुल्तान

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10/12/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी पर निम्नप्रकार से विवेचन किया गया । वकील प्रार्थी बेगराज के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की एक वाद संख्या 316 / 2012 अनवानी सुल्तान बनाम भादरराम अन्तर्गत धारा 88 ,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें सायल व गैरसायलान के पिता भादरराम के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 24.12.2012 को वाद वादी डिक्री किया गया था एकतरफा कार्यवाही विधि विरूद्व रूप से करने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी पेश किया गया था जिसमें दिनांक 15.01.2015 को निर्णय पारित किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2012 को बहाल रखा गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2018 के विरूद्व एक अपील संख्या 48 / 2018 अनवानी भादरराम जरिये वारिसान बनाम सुल्तान आदि राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 25.01.2023 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.01.2018 को निरस्त फरमा दिया गया तथा वाद संख्या 316 / 2012 सुलतान बनाम भादरराम में एक तरफा पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 व निर्णय दिनांक 24.12.2012 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2012 की पालना मे पारित की गई डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन विधि विरूद्व है क्योकि निर्णय दिनांक 24.12.2012 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25.01.2023 से निरस्त किया जा चुका है निर्णय दिनांक 24.12.2012 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन विधि विरूद्व है इसलिये निर्णय दिनांक 24.12.2012 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाने का प्रार्थी अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2012 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के आदेश फरमावे। गैरसायल संख्या 2 भवंरलाल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 25.01.2023 जिसके द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2012 को निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील / निगरानी संख्या 2023 / 1276 / हनुमानगढ / 20.10.2013 अनवानी ओमपति बनाम इमरती प्रस्तुत की जा चुकी है तथा दिनांक 20.06.2013 को उक्त निर्णय दिनांक 25.01.2023 में अंकित विवादित आराजी की मौका / रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किया गया है प्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों को छुपा कर प्रार्थन पत्र पेश किया गया है प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नही आया है जब तक माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ... में पारित अपील / निगरानी का अन्तिम निस्तारण नही ... आदेश प्रभावी रहते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद संख्या 316 / 2012 अनवानी सुल्तान बनाम भादरराम अन्तर्गत धारा 88 ,188	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:52:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 24.12.2012 को वाद वादी डिक्री किया गया था वाद में की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दिवानी पेश किया गया था जिसमें दिनांक 15.01.2015 को निर्णय पारित किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2012 को बहाल रखा गया जिसमें विरूद्व प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 48 / 2018 भादर बनाम सुलतान प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 25.01.2023 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 24.12.2012 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया जिसमें विरूद्व द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील / निगरानी संख्या 2023 / 1276 हनुमानगढ / 20.10.2023 अनवानी ओमपति बनाम इमरती प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 25.01.203 में अंकित विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 25.01.2023 जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 24.12.2012 को निरस्त किया गया है का विवरण अंकित किया गया है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील / निगरानी का विवरण एवं मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश का अंकन नही किया गया है अर्थात प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आया है

प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी अन्तिम निर्णय उपरान्त ही प्रस्तुत की जा सकती है प्रकरण विचाराधीन रहते एव स्थगन जारी होने पर 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नही है ना ही प्रार्थी किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकारी है प्रकरण में आगामी कार्यवाही मण्डल के निर्णय उपरान्त एवं अन्तिम निर्णय उपरान्त ही हो सकती है

अतः प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आने एवं वाद भूमि के सम्बध में अपील / निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थन में विचाराधीन होने एव मण्डल द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार योग्य / चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:52:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर